फाइल नं0-71-3099/182/2025-03

121/2025/I/1144385/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 17 नवम्बर, 2025

विषयः- जनपद- वाराणसी में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध दीन दयाल चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण/रीमॉडेलिंग (198 बेड्स) के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2025-26/156, दिनॉक 14.07.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद- वाराणसी में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध दीन दयाल चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण/रीमॉडेलिंग (198 बेड्स) के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रु0 11387.77 लाख (एक अरब तेरह करोड़ सत्तासी लाख सत्तहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-90-जनपद वाराणसी में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 15000.00 लाख के सापेक्ष रू0 3985.71 लाख (रू0 उनतालीस करोड़ पचासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रधानाचार्य द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, वाराणसी में 150 एम0बी0बी0एस0 छात्रों के प्रवेश हेतु एन0एम0सी0 के समस्त मानकों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अन्यथा की स्थिति से बचा जा सके।

(2) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित 05 मॉड्यूलर ओ0टी0 की स्थापना इत्यादि हेतु प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न विषय-विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया जाये, जिसके द्वारा चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार मॉड्यूलर ओ०टी० में लगाये जाने वाले उपकरणों एवं विशिष्टियों आदि का निर्धारण कर अपनी देख-रेख में निर्माण कार्य कराया जाये।

(3) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव आगणन में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-9/2022/ए-1-357/दस-2022-10(55)/2000, दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य बाट आउट कार्य की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(4) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु नियमानुसार धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाये। चयनित संस्था द्वारा न्यनूतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) प्रायोजनान्तर्गत ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग द्वारा बाजार दरों पर 10 प्रतिशत कटौती करने के उपरान्त प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराया गया है। अतः ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग द्वारा बाजार दरों पर की गयी कटौती को यथावत् रखा गया है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत ध्वस्तीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अतः ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0-158/2023/993/23-5-23-50(40)ईजी0/08, दिनॉक 12 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजना निर्माण हेतु भार रहित भूमि उपलब्ध है। प्रायोजना निर्माण हेतु पर्याप्त भार रहित भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत की जायेगी।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वितीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2, दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (Consumed)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(12) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(13) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

(15) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(18) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

(19) प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(20) प्रश्नगत वितीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(21) प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(22) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(23) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

(24) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 39,85,71,000 (रुपये उनतालीस करोड़ पचासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 42100310590 जनपद वाराणसी में मेडिकल कालेज की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-152/दस-2025-26, दिनांक 13 नवम्बर, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, वाराणसी।
6- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, वाराणसी।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
10- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
11- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।